



पं. रविशंकर शुक्ल मिशनविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262807 (ऑफिसियल), 0771-2282540 (कृत्रिमिय), फैसला : 0771-2262810, 2262807, E-मेल: raigad.mission@rediffmail.com

क्रमांक ।१३५ / अका. / 2022

रायपुर, दिनांक ।१८.०६.२०२२

प्रति,

1. अध्यक्ष / संचालक
समस्त अध्ययनशाला / संस्थान
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर
2. प्राचार्य
सब-द्व लग्नस्त महाविद्यालय
प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर

विषय :- प्रदेश भागदर्शिका सिद्धांत 2022-23 का प्रेषण।

संदर्भ:- अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 2935/760/आज्ञा/संग./2022 दिनांक 07.06.2022

महोदय / भवोदय

लेख है कि कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, अल्ल नगर नदी रायपुर द्वारा शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की प्रति पत्र के साथ संज्ञान कर आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया अपने महाविद्यालय/अध्ययनशाला के समस्त शिक्षकों/कर्मचारियों को इससे अवगत कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022-23 से दिए गए प्रावधानों का जाकरशः कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार कुल 16 पृष्ठ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक ।१८.०६.२०२२

पृ. क्र ।१३५२/अका/2022

प्रतिलिपि -

1. उप कुलसचिव परीक्षा / सामाप्रशा. / सहायक कृत्रिमिय गोपनीय विभाग
2. नामांकन / उपाधि प्रकोष्ठ / अधिभाता छात्र कल्याण / वित्त नियंत्रक
3. संचालक, महाविद्यालय, विकास परिषद्
4. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहाय्य, पं. रविशंकर शुक्ल मिशनविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

विशेष कर्तव्यसम्बद्ध अधिकारी (अका.)

१

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-३, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्ड्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

कमांड़े ०६५४५८८००५८०० / आजशि / सम / २०२२

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ०६/०६/२०२२

पहि

१. कुलसचिव
राजस्थानीय शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़।
२. प्राधीन्य
राजस्थानीय शिक्षा विभाग।

कुलसचिव
०६/०६/२०२२

मिष्य :—

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संरथानों के लिये सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का ०६/०६/२०२२

रांदणी :

अवर राज्यवि. छ.प.श.राज्य उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांड़े एफ १७-१८/२०१७/३३-२
नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ०६.०६.२०२२।

--- ००---

जर्सीकृत निष्ठातान्त सदर्भित पत्र के अनुकूल में लिख दूं कि छ.या.शासन उच्च शिक्षा विभाग के
सदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संरथानों के लिये सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत
जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022-23 की प्रारंभ तिथि वर्तमान है।

कृपया उच्च शिक्षा विभाग की विभागीय विभागों का कड़ाई से पालन करना
सुनिश्चित करे।

राज्यवि. उपरोक्तानुसार।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर सचालक
उच्च शिक्षा विभागीय

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक ०६/०६/२०२२

पृ.कमांड़े ०६५४५८८००५८००/आजशि/ सम/ २०२१

ग्रहितिणि -

१. अवर सचिव छ.प.श.राज्य उच्च शिक्षा विभाग विभागीय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष में सूचनार्थ प्रेषित।
२. मेरीद्य अपर राज्यवि. शिक्षा कार्यालय, नवा रायपुर/धेलारायपुर/जाम्बलागुर/
अदिकाशुर। द्वय की ओर सूचनादृष्टि।

अपर सचालक
उच्च शिक्षा सचालन विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)



०६/०६/२०२२
११/६/२२

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालयः

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

जिला-रायपुर

-----00-----

क्रमांक एक 17-95 / 2017 / 38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 01/6/2022
प्रति.

आगुकू,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः— छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका

सिद्धांत ऐश्वर्य करने बाबत।

संदर्भ— आपका प्रस्ताव क्रमांक 2917 / 760 / 761 / आएशि / सम. / 2022 दिनांक 31.05.
2022

-----00-----

विषयात्मक संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये
शैक्षणिक रात्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित
है।

कृपया सभी संचालित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए
मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कडाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित
करने का कष्ट करें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

(ए.आर.स्थान)

अधर सचिव

छठांग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

पृ. क्रमांक एक 17-95 / 2017 / 38-2

प्रतिज्ञिः—

1. विशेष अहायक, मानवीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सहित, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल
नगर, रायपुर
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. एड फाइल।

अधर सचिव

छठांग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए¹
सत्र 2022–23
हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च निकाय प्रियां

**छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महापिधालयों की स्नातक वर्षा स्नातकोत्तर
कलाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत**

सत्र 2022-23

१. प्रयुक्ति :-

१.१ ऐ मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के अभी शासकीय/अशासकीय महापिधालयों में छत्तीसगढ़ में निर्माणित अधिनियम-१९७३ के तहत अस्थदेश क्रमांक ६ एवं ७ के प्रबन्धान के नाम सहयोगिता द्वारा हुए जाने होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन खुलियत करेंगे।

१.२ प्रवेश के लियाँ एक शासकीय हथा अशासकीय महापिधालयों को कडाई से पालन करना होगा। उद्देश से आशाय स्नातक कक्षा के इथम वर्ष अलग प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से ही होगा।

२. प्रवेश की तिथि :-

२.१ प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस दृष्टि पिलावेटलय: इतर पर प्रवेश हेतु "ऑफलाईन" फर्म जमा कराया जायेगा। जिन नए "टेलीटेल" के लिए जितने पर्याप्त जमा होंगे, उसे उस महापिधालय को प्रेषित होये जाएंगे। ऑफलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन एवं प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के अधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना नहीं हो तो आवेदक डार्च नहीं पिलावेटलय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण एवं सहित निर्धारित दिनांक तक महापिधालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बांड़/। २५विकासलय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में दूर्व स्थायी क्रमांक द्वारा प्रमाणित किये जाने पर विना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

२.२ प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

१. स्थानांतरण को छोड़कर १६ जून से १६ अगस्त तक प्राक्कलं रूपये तक २० अगस्त तक कृत्तियों की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश करने के सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि १६ जून स वाथा अन्य कलाओं हेतु १६ जून से १५ जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के बीतर) जारी द्वारा समय रागय एवं जारी नियमों की अनुसार प्रवेश होने की १० दिवस के बीतर प्रवेश करने पूर्ण किये जायेंगे। कठिना ५.१ (क) में उल्लिखित कलाचारियों के स्थानांतरण होने पर प्रोग्राम की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश होने वाले उनके पुऱ्य-पुऱ्यियों को स्थान दियते होने पर ही सब के द्वारा प्रवेश दिया जाये दियनु इसके लिए कर्मचारी द्वारा बगदार प्रहरा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक की

अनुमति अधिकारी

उच्च निकाय प्रियां, भवानीपुर

ठत बाबू, नक्का सुखदुर्ग (प्रियां निकाय भवानीपुर) २०२२

प्रवेश हेतु निर्धारित अंगीकृत लिखि के द्वारा गहाविद्यालय ने प्रवेश लाने की विधि नहीं दी। प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष टीप :-

सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया में सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. वोर्स 10+2 वाले जिनकी परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुये हैं ऐसे आवेदक रांचीत योर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अन्तर्गत प्रथम टर्म गे प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करदाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.सी. आई.सी.एस.सी. के ऐसे आवेदक जिनका संलग्नित पिट्ठालय द्वारा उपलब्धित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहे हैं ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए व्यवस्था पत्र रखवाय/अधिग्राहक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। व्यवस्था पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेंद्र निरसा गाना जरूरी बदा जाग।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "का" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के गहाविद्यालय में निर्मानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसको बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के जिसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिति स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "खा" ने स्थान (अ) गे जहां उसके पालक कार्यस्थल थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी भी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतर्गत तिथि निकल जाने के बाद अधिकारी (खा) लो प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना – विधि संकाय के अंतिरिपत अन्य राकायरों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कूलसंघ की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु ऐसि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी एवं विद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 एवं विद्यालय में उपलब्ध सामग्री के पालक कक्षा में बैठने की व्यवस्था, पयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग प्राप्ति सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के अधार पर स्वीकृत छान रांछा (रोट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यादे प्राचारी महाविद्यालय में प्रवेश हेतु लाव रांछा में सीट की सुधृद बाहर है तो ने 30 अप्रैल तक अपनी प्रत्याप उच्च शिक्षा स्वाक्षरणालय को ऐप्रित करें तथा "चैच्च शिक्षा स्वाक्षरणालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति ग्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की अपेक्षा हो।"

- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्षे १५ वर्षवार्षिक शादीयक्रम की दृष्टिकोण की कक्षाओं में चार कोरेंस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम ६० विद्यार्थीयों को की प्रति सेवन अनुमति दिया जायेगा। विद्यार्थी २ रोक्षन एवं अधिकतम ५ (सेताशन) गे प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जायेगा।

अन्य विधि विभाग, संवाद

- 3 सम्बन्ध विश्वविद्यालय/सरकारी महाविद्यालय हारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। ग्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश रात्र्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।
- 4 प्रवेश सूची :-
- 4.1 ग्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जन करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु रथनांतरण विद्यार्थियों की अहंकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जलां अधिभार देय है। यहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुभूमि सूची, प्रतिशत अक्स सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक सलान प्रभाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रभाण पत्रों से मिलान कर प्रभाणित किये जाने एवं रथनांतरण प्रगाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने पीछे अनुनति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद रथनांतरण प्रभाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश नाम्य होगा। प्रवेश के पश्चात् रथनांतरण प्रभाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनियार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 पांचित प्रवेश शुल्क के शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर उन्हीं कक्षाओं में निरसानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क राये 100/- अदानकीय मद में अतिरिक्त रूप से कम्बूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 25 अदान के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 4.5 रथनांतरण प्रगाण-पत्र के हिन्दी प्रति (डिप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। रथनांतरण प्रभाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें गूँज रथनांतरण प्रभाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का चलतेर हो, उस त्रैने की स्थिति में ही प्रवेश दिय जा सकता है। इस देहु विद्यार्थी से बच्चन पत्र लिया जाए।
- 4.6 महाविद्यालय के ग्राचार्य रथनांतरण प्रभाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ आत्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट लारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेगिस्ट्रेशन/अनुसासनीयता/तोड़फोड़ आदि में अंतिम हो दा नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बद लिफाफे में बन्द कर उस गहराविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि लाल/छात्र ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 राज्य शासन, द्वारा, शासकीय गहराविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक/रनातकोत्तर स्तर की शिक्षाओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः ३०० गिरेशों का पालन किया जाए।

अनुसार अधिकारी
क्षेत्र शिक्षा विभाग, मंगलवार
अदान नाम, नम्बर बयपुर (झ.ग.)

प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में रहने वाली सरकारी/राज्य या नेट्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राज्यीयकृत दैकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावरणिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जन्मु काश्मीर के विद्यापितों तथा उनके अधिकारी तथा शासकीय प्रशिक्षितों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार जनेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर ऊन्न्य राज्यों के बान्धता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आचार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मानात् प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही विश्वविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र ग्राहक लरने के पश्चात् ही आवेदक लोग प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु पाणिज्य और कला रांकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (पृष्ठ विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी रांकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्याख्यातिक पात्रयक्षण से 12 वें उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परतु यदि अन्यार्थी ने पाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे पाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) इनपर 10+2 स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमश छुटीय/दूरदैर्घ वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक छुटीय स्नातक पर विषय परिवर्तन वर्षी पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (पृष्ठ विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमश इन कॉम./एम.एस.सी. (पृष्ठ विज्ञान)/एम.ए-प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेन्डर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होती है। जिन्होंने स्नातक स्नातक रातर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्ता के अधिकारी अहंता के संबंध में रांकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के शार्दूलित अध्यादेश गें उत्तरवित प्राक्षयन/अहंता ही अंधनकारी होगे।

निम्नलिखि
अनुमति अर्थात्

उच्च विद्यालय, मंत्रालय

अटल नगर, नवा यायपुर (छ.ग.)

N.D.VI. PRAVESHI KAROGRAM BHARATIKA 2022-23

- (क) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी पिंडाय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पढ़ति की, पूर्ण अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों जो अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होंगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :—
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राक्षणिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व ग्राविडिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों जो अगले सेमेस्टर में प्राक्षणिक प्रवेश की पात्रता होंगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :—

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :—

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति / अन्यसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी)। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वी हृषीकेश सेमेस्टर में 55% अंक (अनुसूचित जनजाति / अन्यरूपी जाति / ओडीसी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/STATE BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश / संवालन पर संबंधित रांची के प्रावधान प्रभावी होगे।

6 समकक्ष परीक्षा :—

- 6.1 संचाल बोर्ड ऑफ रोकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कॉर्सेल फार सेकेटरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरस्कॉलिएट बोर्ड की 10+2 वर्षीय परीक्षाएं भाग्यमिक शिक्षा 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचर्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 लामान्यत: भारत में विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समरूप परीक्षाएं छल्लीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (ICNOU को छोड़कर) जो दूरवाली पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, वे परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निवेशानुसार छल्लीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अधिवा शीक्षणिक रांची को छल्लीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैंपस अनुसार अधिकारी

- आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/हिँगी देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से हिँगी/डिलेमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण सरस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुशासन आयोग हारा सभ्य-सभ्य पर जारी कर्जी अथवा मान्यता दिलेन विश्वविद्यालय वा शिक्षण सरस्थाओं, जिनकी उगाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वा प्राप्त कर।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईव्यूएफ (National Vocational Educational Qualifications Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सानान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाए।

विश्वविद्यालय अनुशासन आयोग के अद्युशासकीय पत्र प्रसारक 1-52/2013 (सीरीज़/एनएसव्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

“जैसा कि आपसे ज्ञात है आर्थिक कार्य पिभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अहंता संरचना (एनएसव्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अहंता संरचना (एनवीईव्यूएफ) में सूचबद्ध किए गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निश्चित किया गया है। जैसा कि एनएसव्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रभाग—पत्र लालच्छ कराए हैं जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र लालच्छ हो एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रत्याख्य किये गये एनवीईव्यूएफ के अनुसरण में पुर्व स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यप्रारूप प्रस्तावित किये गये और एनवीईव्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रगाण—पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसव्यूएफ के स्तर 4 के प्रगाणित स्तर राहित 10+2 शिक्षा के वर्ष 2014 तक अपने अपने अनुरोध है कि इनके पास +2 स्तर में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिये तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक दिप्य ये तो अलाभकारी रिक्ति में होंगे। अतः ऐसा आपसे अनुरोध है कि जिस सभ्य छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय ने अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रधास किये जा रहे हों तो उस राग्य ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान दी जाये, ताकि उन छात्रों को कैरियर गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।”

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छात्रीयगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पासता है किन्तु साम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में

अनुभाग अधिकारी

बाह्य शिक्षा विभाग, मंत्रालय

काटल नगर, नृप शुभ पुस्तकालय, 2022-23

आवेदको ने पिछली परीक्षा दी हो इशाका परीक्षण करने के पश्चात् भी नियमित प्रवेश नहीं जाए। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवधारणा लिया जाए।

- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर रेखा विश्वविद्यालय/स्वशासी महानियालयों से रनातक सार प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महानियालयों से रनातकोल्डर पूर्व नी परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विद्ये स्नातक सार की प्रथम/द्वितीय नी की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके हासा राढ़द्व विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्तुल करने के पश्चात् हो उन्हीं विषयों/विषय रागड़ की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं जाए।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रबाहर की झूटी/गलत जानकारी पाए जाने पर संदर्भित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रदेश से बचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्राप्तुल दस्तावेजों का चमार्जनकरण सबपित्र बोड़/विश्वविद्यालय से कराया जाना आवश्यक है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में व्याधार्यी आवेदकों को रथान रिक्त होने पर तथा महानियालय के भूतपूर्व छात्रों को ३० नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य नहरने की अनुमति प्राप्त होता होता ही जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की यत्क्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनियार्य होगा :-

8.1 स्नातक रत्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (प्राप्त नियमित अवेदकों को अगली कक्षा में रथान रेक्ट होने पर अस्थायी प्रवेश की यत्क्रता होगी।

8.2 स्नातकोल्डर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त अवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की यत्क्रता होगी।

8.3 विद्ये स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कलिका 7 के उपर 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुल्लोप्त होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश रूपतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में भान्य किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अहंतारण :-

9.1 किसी भी महानियालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश ग्राहक छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी_वर्ष, वधी ने पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्ण सत्र में आदेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा अवेदक नियमित प्रवेश हेतु अगर नहीं आना जायेगा, उसे मात्र गुल

अनुच्छेद अधिकारी

उच्च शिक्षण विषयां, मंत्रालय

अहल नगर, दिल्ली अधिकारी (पात्र) नं. २०२२-२३

स्थानात्मक प्रमाण—पत्र तथा रणथ—पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं किया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश किया जाएगा।

9.2 जिनके विलक्षण न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रक्रिया चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्द सब्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के बाद दुखदहार/मारपीट करने के गमीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं कुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।

9.3 न्यायालय में लोलफोड़ करने और महाविद्यालय की सपत्ति को नष्ट करने वाले/ईंगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति पठित कर जीव करवाये एवं जोच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र—छात्राओं को छलीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु—सीमा :—

(क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के नं. क्रमांक एक 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के संधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उराकी दीनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दीनिक कर्तव्य अग्रिके उपरात लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अधिवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापक्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का नियरिण :—

10.1 उपलब्ध रथानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश नियमानुसार गुणानुक्रम से निया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के ग्रास्ताक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर ग्रासा फुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) दिधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो दिधिविद्यालय द्वारा नियानीत गापद्धारों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आराहोत श्रेणी के लिये अलग—अलग गुणानुक्रम रूपी तैयार की जायेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :—

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पिधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के ग्रास्ताक के आधार पर प्रावीण रूपी तैयार की जाएगी;

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूर्ण प्राप्त पूर्व ऊज द्वे नियमित/स्थानीय विद्यार्थियों के ब्रह्म में होगा।

*20/8/2022
गुणानुक्रम अधिकारी*

अध्यक्ष विभाग, प्रशासन

अवल नाम: हर्षलक्ष्मी शर्मा डिप्परिया, नामा नं. 22222

- 11.3 विधि सकारा की अगली जमाओं में युवक छात्रों को पहले उत्तीर्ण, दस्तूर के स्थीरता ग्राम का नया वाले छात्रों को प्रायोगिकता के आधार पर प्रवेश किया जाए, अन्य कम वयोंका रखा।
- 11.4 स्नातक सत्र के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश के किसी भी सहानुभाव में प्रदेश के अन्य राज्यों/तहसीलों/जिलों के निवासियों अथवा पर्यटक अनुरूप करने वाले आदेश विद्यार्थी को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।
- 11.5 निम्नों एवं त्रिवर्षीय लैं सनातनोकोलर परीक्षा उत्तीर्ण दिव्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकों नहीं लेता में प्रवेश एवं विद्यार्थी में स्थान रिति रहने की रिप्रति में ही दिया जा सकेगा।
12. आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण भीषि के अनुरूप गिम्नानुसार होगा।
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इनका विस्तार निम्नालैखित रैति से होगा, अथवा
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में धार्षिक अनुज्ञात संख्या में से बर्ताव प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा ने धार्षिक अनुज्ञात संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में धार्षिक अनुज्ञात संख्या में से चारह प्रतिशत सीटें अन्य विकास बोर्डों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुरूपित जाति/अन्य विकास बोर्ड यों के रिक्त रीटों पर भी विवरीत करने पर आवेदकों द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षण सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों तक रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विवरीत करने में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।
- परन्तु यह और कि पूर्णामी पर्वत के निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (अ), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य यात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
- 12.2 (1) निम्न का 12.1 के खण्ड (अ), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उपर्याप्त (गतीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
- (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कामियों/भूतपूर्व रैमेन, स्वतंत्रता संघाम गोनानियों के बच्चों गा व्यवितरणों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिक आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार हासा समय-राग्य पर इस अधिनियम के प्रयोगने के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह निम्न का 12.1 के खण्ड (अ), (ख) तथा (ग) के अधीन व्यवस्थित, उपर्याप्त आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संघाम गोनानियों के पुत्र-पुत्रियों_पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रांतिक रूपान् आरक्षित रहेंगे; निःशक्त व्यक्ति के आवेदनों के लिए 5 प्रांतिक रूपान् आरक्षित रहेंगे। सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत रूपान् छात्राओं को लिये आरक्षित होंगे।

अनुरूप अधिकारी

अध्यक्ष विभाग, भवालय
आठल नगर, नवा रामपुर (छ.ग.)

12.5	आरक्षित श्रेणी का कार्ड समीक्षण अधिक अंक पाने के कारण आरक्षित श्रेणी 3/4 वीं काम्पीटीयन में शिवमानुसार गेरिट रूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की दीटे यथादत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्गी जीरो- सातत्रता समाप्त सेनानी बनते ही भी हैं तो संटंगे की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी ने भरी भारी जायेगी, रोप संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
12.6	आरक्षित स्थान का ग्रातिशत् 1/2 से कम अल्ला है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत् एवं एक ग्रातिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
12.7	जम्मू-कश्मीर विधायिलों तथा आधिकारियों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए परंथा न्यूनतम् अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।
12.8	रामय-समय पर शासन हारा जारी आखण जिःगों का पालन किया जायेत।
12.9	कंडिका 12.1 में दर्शाई वर्द्ध आरक्षण के प्रावधान गाननीय उच्च न्यायालय विलसपुर के निर्णय के अन्वयनीन रहेगा।
12.10	तृतीय लिङ् के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस तंत्रध में प्रकरण प्रमाणक दब्ल्यू.पी.सी. 400 / 2012 नेशनल लीगल सर्टिसेस अधीनिती विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य मे प्रतिरित निर्णय दिनांक 19.04.2014 की कंडिका 129(3) ने यह निर्देश दिया गया है कि- "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का भङ्डाई से पालन किया जाए।
13	अधिभार - अधिभार मात्र गुणातुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के ग्रातिशत् पर ही अधिभार देय जाएगा, अधिभार हेतु समर्त प्रगाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ रोलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लारे जाने/ जमा किये जाने वाले प्रगाण-पत्रों हैं। अधिभार डेंट्र विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर नात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।
13.1	एन.सी.सी./एन.एस.एस./रकाउट्टर्स रकाउट्टर शब्द को रकाउट्टर/गाइडर/रेन्जर/रोवर के अर्थ मे पक्का जावे। (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट (ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट या हितीय सोपान उत्तीर्ण स्कूलउट्टर (ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण रकाउट्टर (घ) राज्य तरीय संवालनालयी। एन.सी.सी. प्रतियोगित गं चुप का प्रतिनिधित्व करने वाले जात्रों को (ज) नई दिल्ली के गणतन्त्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ जन भाग अधिकारी के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने
	02 प्रतिशत 03 प्रतिशत 04 प्रतिशत 05 प्रतिशत 05 प्रतिशत

अन्वय अधिकारी
उच्च नियंत्रित कियान, संवालन
अक्षल नाम, नवा वायपुर (उ.प.)

	विद्यार्थी को	
(५)	राज्यपाल रक्षाउद्देश	05 प्रतिशत
(६)	रक्षापति रक्षाउद्देश	10 प्रतिशत
(७)	छल्तीसंगठ का सचिव एवं सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(८)	डिग्री औफ एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(९)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रधान करने वाले कैडेट को, अनार्कीय जगद्दी के लिए चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत
13.2	अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यक्षम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उत्तीर्ण विषय में प्रयोग लेने पर	10 प्रतिशत
13.3	खेलकूद/ साहित्यिक / संस्कृति/ विवर/ स्पार्क्स एवं :-	
(१)	लोक शिक्षण संवालनालय अथवा छल्तीसंगठ चल्चि शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग भार अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/ क्षेत्र रत्तर प्रतियोगिता में	
(२)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(३)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त वाले को	04 प्रतिशत
(४)	उपर्युक्त कलिका 13.3 (१) में उल्लेखित विभाग/ संवालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय राज्य स्तर अथवा कन्टीन विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय, स्नातीय प्रतियोगिता में अथवा गार्लीय विश्वविद्यालय संघ रआई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित शौकीय प्रतियोगिता में :-	
(५)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(६)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(७)	संभाग/ क्षेत्र का इतिहासित परमानंद वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत
(८)	भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-	
(९)	य्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(१०)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
(११)	द्वेष का प्रतिभेदित करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत
अनुभाग अधिकारी		
अन्य विद्यालय, विद्यालय		
अटल नगर, नेहरा राष्ट्रपति अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्याल एक्सचेंज प्रोग्राम के लाहौद विज्ञान/ सांस्कृतिक/ राहितिक/	10 प्रतिशत	

- उल्ला कीम में जानिए। एवं प्राप्त करने वाले दल को सदस्यों को
- 13.5 उत्तीर्णगढ़ लगान/गप्र से मानस्ता प्राप्त सेव राष्ट्रीय आयोजित गुणानुक्रम का :-
 (ग) उत्तीर्णगढ़/गप्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्राप्ति ।
 (घ) प्राप्त, द्वितीय, तृतीय लगान प्राप्त करने वाली उत्तीर्णगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्राप्ति ।
- 13.6 जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थिता राष्ट्रीय उन्नयन आयोजितों द्वारा 01 प्राप्ति ।
- 13.7 विशेष प्रोत्साहन :-
- उत्तीर्णगढ़ राष्ट्रीय एवं महाविद्यालय के हित ने एन सी.टी./खेलफूट को प्रोत्साहन टंके लिए एन सी.सी. के राष्ट्रीय रत्न के सर्वश्रेष्ठ कैडेटों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय/एशियाड/स्पॉर्ट्स अध्यारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रत्न पर आयोजित खेल प्रैग्याधित में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में नियंत्रित प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पावता है कि :-
- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, उत्तीर्णगढ़ राष्ट्रीय द्वारा अभियननापित किया गया हो, एवं
 - (2) यह शुभिता कंपल उन्हीं अभ्यार्थियों को ऐसे जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यासेवन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा इन्हीं द्वारा प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि गुण प्राप्त करना अवश्यक होगा।
- 13.8 प्रथम वर्ष में द्वितीय, तृतीय रत्न के मिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातिकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में द्वितीय तृतीय रत्न कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु प्रयोग किय जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रयोग हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु सह्य होंगे।
- 14 संकाय/विषय/मुप परिवर्तन :-
- स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में आहकारी परीक्षा को संकाय/विषय/मुप परिवर्तन कर प्रयोग चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से ५ प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम नियंत्रित किया जायेगा। अधिभार पर हुये प्राप्तांकों पर दब होगा। महाविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने वाले द्वारा दीया गया दब संकाय/विषय/मुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के ब्राचर्य द्वारा ३० रितायर तक या विवाद से मूल्य परीक्षा परीक्षाम आने पर कठिनता २२ में उल्लंघित प्रयोग की अविवादिती से १५ दिनों तक ही दी जाएगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को दद्य होगी जिनके प्राप्तांक सबौधारा विषय/सत्राया को पूर्ण गुणानुक्रम सूची में अतिम प्रदेश पाने वाले विद्यार्थी के सामने दद्य जाएगा ही।

अनुमति

अनुमति अधिकारी

उच्च विद्यालय, पंजाब

कट्टल नगर, नक्काश (स.न.)

५ शोध आवृत्ति

आहारत किया जावगा।
महात्मेश लगे पदरथ प्राच्यापक सुपरयाइजर के अन्यत्र रथानांवरण हो जाने वीरिथिति
मेर शोध छाव ऐसी सरस्वा मेर अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहाँ से उनका शोध
आयेदन पत्र अयोधित किया गया था, शोध पर्यवर्ण पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी
महात्मेशालयों के प्राचार्य अयोधित करें। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ
सहपठित करते हुए लग्ज होगा।

१६ विशेष :—

१६. प्रवेश : जातीं प्रमाण—पत्रों, गलत जानकारी, जानदृष्टिकर लिपांगे गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासनिक अधिकारी के वालीन उसके विवरणीय वादे किसी आतेदक को प्रपेश मिल गया है। तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का गुर्ज दर्शयेत् प्राचार्य को होगा।

१६.२ प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्त अनुगति या सूचना के बिना उगातार एक भाव या अधिक सम्भव है कि अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रपेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

१६.३ प्रवेश के बाद सत्र के दौरान लंडिका ९.२ एवं ९.३ में 'वर्णित अनुशासनहीनता' के प्रकरणों में लिख विद्यार्थी का प्रपेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कार्यित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

१६.४ प्रपेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी हाजा मलांगिटल छोड़ देने अथवा उसका प्रपेश निरस्त होने अथवा उसका जोकासन किये जाने वाले रिप्पति में विद्यार्थी को सराहित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क यांत्रिक नहीं किया जायेगा।

१६.५ प्रपेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रपेश संबंधी किसी प्रकरण में गार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट दीन या अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुष्मा, तज्ज्ञ शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करोंगे प्रदेश संघर्षी किसी भी प्रकरण को केवल अद्येतिर लिखाकर प्रेषित न किया जायें।

१६.६ इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में गलतीखित ग्राथधारों की व्याख्या करने का अधिकार आयुष्मा, तज्ज्ञ शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/मिलान/सलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारी
उत्तर शिल्प विभाग, नंदगांव
कर्नाटक, भारत राज्यपुरा (प. ब.)